



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय:-

मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत चतरा से हंटरगंज तक 132 KV D/C संचरण लाईन निर्माण हेतु 53.2129 हे० (चतरा दक्षिणी- 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी 23.3355 हे०) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 869 दिनांक 14.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, चतरा का पत्रांक 159/प्रबंधक/स०अ०प्र०, चतरा दिनांक 17.11.2021 द्वारा मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत चतरा से हंटरगंज तक 132 KV D/C संचरण लाईन निर्माण हेतु 53.2129 हे० (चतरा दक्षिणी- 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी 23.3355 हे०) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव के संबंध में निम्न तथ्य प्रतिवेदित करना है :-

1. प्रस्ताव के साथ (Acknowledgment Slip) प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-1, पृष्ठ संख्या- 133)

2. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न Form-A (Part-I) में अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी निम्नवत है- (अनुलग्नक-2, पृष्ठ संख्या- 132-127)

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे० में)	गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (हे० में)	कुल रकबा (हे० में)	गैर वन भूमि (हे० में)
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।	16.5026	13.3748	29.8774	6.1431
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।	13.5740	9.7615	23.3355	7.3332
कुल :-			53.2129	13.4763

3. प्रस्ताव के साथ (Authorization) प्राधिकृत पदाधिकारी का पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-3, पृष्ठ संख्या- 126)

4. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन से संबंधित संक्षिप्त नोट्स (Brief Notes From Project) की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-4, पृष्ठ संख्या- 125)

5. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई Justification की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-5, पृष्ठ संख्या- 124)

6. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि में 78 टॉवर तथा गैर वन भूमि में 30 टॉवर लगाये जायेंगे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक 6, पृष्ठ संख्या- 123)

7. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण इत्यादि हेतु कराने हेतु नियमानुसार माँगी गई राशि जमा करने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 7, पृष्ठ संख्या- 122)

8. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध एन.पी.भी. हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 8, पृष्ठ संख्या- 121)

9. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाये जाते हैं तो उसे मान्य है से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 9, पृष्ठ संख्या- 120)
10. प्रस्ताव के साथ विषयगत पथ निर्माण के क्रम में कोई भी वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र/राष्ट्रीय उत्थान/ जैविक उद्यान/जैव विविधता क्षेत्र इत्यादि का भाग नहीं पड़ते हैं से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 10, पृष्ठ संख्या- 119)
11. प्रस्ताव के साथ मिट्टी एवं कूड़ा का निस्तारण और किसी वनोंपज का उपयोग न करने के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 11, पृष्ठ संख्या- 118)
12. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में कम से कम वन भूमि उपयोग करने से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 12, पृष्ठ संख्या- 117)
13. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में विषयगत पथ निर्माण से संबंधित Cost Benefit Analysis संलग्न है। (अनुलग्नक-13, पृष्ठ संख्या- 116-115)
14. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-14, पृष्ठ संख्या- 114-99)
15. विषयगत प्रस्ताव में प्रभावित भूमि 1.52654 हे० जिसका खतियान नष्ट एवं उपलब्ध नहीं है वैसी स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा प्लॉटवार भूमि का किस्म से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-15, पृष्ठ संख्या- 98-97)
16. प्रस्ताव के साथ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मौजों का प्लॉटवार वन भूमि विवरणी की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-16, पृष्ठ संख्या- 96)
17. प्रस्ताव के साथ दोनों वन प्रमंडलों अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि का मौजावार विवरणी की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-17, पृष्ठ संख्या- 95)
18. प्रस्ताव के साथ दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित Component wise Break up की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-18, पृष्ठ संख्या- 94)
19. प्रस्ताव के साथ दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित Forest Land & Non Forest Land से संबंधित भूमि विवरणी का सारांश की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-19, पृष्ठ संख्या- 93)
20. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची सारांश के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-20, पृष्ठ संख्या- 92-46)
21. अपयोजित होनेवाले वन भूमि से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र एवं उसमें सन्निहित गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक 21 एवं 22, पृष्ठ संख्या- 45-44)
22. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-23, पृष्ठ संख्या- 43-37)
23. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई वैकल्पिक उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-24, पृष्ठ संख्या- 36)
24. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में Alternative Route Examination Chart संलग्न है। (अनुलग्नक-25, पृष्ठ संख्या- 35)
25. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से संबंधित Layout Plan की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-26, पृष्ठ संख्या- 34)
26. प्रस्ताव के साथ सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोग्रैफिक स्केल 1:50,000 पर विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण को Alternative Route दर्शाते हुए संलग्न है। (अनुलग्नक-27, पृष्ठ संख्या- 33)

27. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Geo-Refenece Map in Shape File एवं इस क्रम तैयार किये गये फाईल की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-28,29 एवं 30, पृष्ठ संख्या-32-21)
28. प्रस्ताव के साथ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण जिन गाँवों से होकर गुजरेगी उसके मानचित्र पर अधिसूचित वन भूमि एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए कैडेस्ट्रल मैप एवं मौजावार Geo-Refenece Map संलग्न है। (अनुलग्नक-31 एवं 32, पृष्ठ संख्या- 20-01)
29. अपयोजित होनेवाले वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का Geo-Refenece Map संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 134)
30. अपयोजित होनेवाले वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का Cadastral Map पर दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 135)
31. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोग्राम 1:50000 के स्केल पर दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 136)
32. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Sutability Certificate) संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 137)
33. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 138)
34. अधोहस्ताक्षरी का पार्ट-2 की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 139-141)
35. अधोहस्ताक्षरी का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 142)
36. अधोहस्ताक्षरी का Recommendation की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 143)
37. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन एवं कितने वृक्षों का कटाई-छटाई की जायेगी से संबंधित विवरणी संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 148-144)
38. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से संबंधित फार्म-A मैनुअल पार्ट-1 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 150-149)
39. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 162-151)
40. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 165-163)
41. वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में अनुमंडल स्तर पर हुई बैठक की कार्यवाही से संबंधित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 174-168)
42. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से संबंधित अधोहस्ताक्षरी का फार्म-A मैनुअल पार्ट-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 175)

अतः प्रस्ताव की आठ मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त-

आपका विश्वासी,

ह0/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक- 151

दिनांक- 24/01/2022

प्रतिलिपि- प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, चतरा का पत्रांक 169/प्रबंधक/स0अ0प्र0, चतरा दिनांक 17.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

24/1/2022